महालेखाकार (लेखापरीक्षा-ll) का कार्यालय केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) KERALA. THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं.मले (लेप) / एपीसी सेल/ (राज्य वाणि.)/2025-26 No. AG (Au-II)/APC Cell/ (State Comml)/2025-26 दिनांक / Dated:30.06.2025

## <u> कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER NO. 1</u>

## विषय: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा Sub: Audit of State Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies

एसएमयू अधिसूचना सं. 221/42-SMU/2025 दि.13 जून 2025 के अनुपालन में निम्न अनुदेश अनुपालनार्थ जारी किए जाते हैं:

In compliance to SMU Notification No 221/42-SMU/2025 dated 13 June 2025, the following instructions are issued for compliance.

 महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) के कार्यालय के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को एएमजी II समूह में अंतरित किए जाते हैं।

All the SPSUs under the audit jurisdiction of office of Accountant General (Audit II) is transferred to AMG II group.

 समूह अधिकारी (एएमजी II) को राज्य स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा प्रमाणन / पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संसाधन का दायित्व सुपुर्द किया जाता है । समूह अधिकारी (एएमजी I & II) उनके कार्यक्षेत्र के तहत राज्य स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा प्रमाणन /

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित सामग्री समूह अधिकारी (एएमजी II) को अंतरित करेंगे ।

Group Officer (AMG II) is entrusted with the responsibility for processing the audit comments relating to the Certification Audit/Separate Audit Reports of SABs. Group Officers (AMG I & II) will transfer material pertaining to Certification Audit/Separate Audit Reports of SABs under their jurisdiction to Group Officer (AMG II).

 राज्य स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा की विद्यमान व्यवस्था संबंधित लेखापरीक्षा प्रबंधन समूहों के पास बनी रहेगी।

The existing arrangement for Compliance Audit and Performance Audit of SABs will remain with respective AMGs.

 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रमाणन तथा अनुपालन लेखापरीक्षा की विद्यमान व्यवस्था अगले आदेशों तक एएमजी II के तहत जारी रहेगी।

The existing arrangement for certification and compliance audit of Departmental Commercial Undertakings will be continued under AMG II until further orders.

5. एएमजी II के तहत विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित विद्यमान आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं है।

There is no change in the existing allocation of audit of Departments under AMG II.

(महालेखाकार के दि.27.06.2025 के आदेश द्वारा जारी) (vide orders of Accountant General dated 27.06.2025)

> वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I) Sr Deputy Accountant General (Admn &AMG I)

सेवा में/To

- 1. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers
- 2. महालेखाकार के सचिव / Secretary to AG
- 3. कार्यालय आदेश पुस्तिका / Office Order Book
- 4. संबंधित अनुभाग / Sections concerned

दूरभाष / Telephone :0471 - 2330899

ई-मेल / e-mail : agaukerala2@cag.gov.in वेबसाइट / Website : https://cag.gov.in/ag2/kerala/en फैक्स / Fax - 0471-2332022